उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-63/2020/733/92-2-2020-30एम/2020
लखनऊ :: दिनांक:: 23 अप्रैल 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत रहने के दौरान महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने, कार्य की प्रगति कम पाये जाने, बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर रहने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने आदि हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राम अवध यादव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-63/2020/733(1)/92-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-3032/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/पत्रा0-440/19-20 के क्रम में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को आरोप पत्र (संलग्नक सहित) इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी।

4- श्री रामअवध यादव, सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-अमेठी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in